

प्रेस विज्ञापित  
थाना कोतवाली

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संनिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुआ कि संतुष्टि माडल शाप के पास जो पुलिस पार्टी पर फायर करके अभियुक्त भाग गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 – 258/2020 धारा 307,504 IPC का वॉछित अभियुक्त जो करतालपुर तिराहे के पास खड़ा है , वह किसी बड़ी घटना के फिराक में है तथा उसके पास असलहा भी है। जिसके क्रम में -

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के0के0 गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम बनाकर प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जो थाना कोतवाली क्षेत्र से संतुष्टि माडल शाप पर करीब 1 माह पहले जो पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिये थे तथा उसमें से 2 व्यक्ति फरार हो गये थे उसमें से एक व्यक्ति जो करतालपुर तिराहे के पास भवरनाथ मोड़ के पास खड़ा है उसके पास अबैध असलहा भी है। उक्त सूचना पर कोतवाली टीम द्वारा मु0अ0सं0 258/2020 धारा 307/504 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त निखिल सिंह पुत्र नारायण सिंह सा0 ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली आजमगढ़ को करतालपुर तिराहे के पास भवरनाथ मोड़ के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निखिल सिंह उपरोक्त की जामा तलाशी के दौरान एक अदद .315 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 296/2020 धारा 3/25 A. Act. पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. निखिल सिंह पुत्र नारायण सिंह सा0 ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी –

1. एक अदद देशी कट्टा .315 बोर, 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 – 296/2020 धारा 3/25 A. Act. थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. मनोज कुमार सिंह चौ.प्र. ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली, आजमगढ़

2. विनय कुमार दुबे चौ.प्र. पहाड़पुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़

थाना जहानागंज

चोरी के 04 वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री रत्नेश मिश्रा पुत्र स्व0 विधाशंकर मिश्रा सा0 गोड़सर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 230/20 धारा 457/380 भादवि बनाम अभियुक्तगण 1-सहनवाज पुत्र कमरुद्दीन सा0 मोहल्ला उत्तर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 2-जमशेद पुत्र जमालुद्दीन सा0 मोहल्ला ताना बाना बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 3-सलमान पुत्र वसीर अहमद मोहल्ला इस्लामपुरा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 4-परवेज पुत्र मुन्नौवर सा0 मोहल्ला बरहतीर जगदीशपुर , थाना -जहानागंज, आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुस कर कमरे के अन्दर रखा आभूषण सोने का हार , चार अंगूठी, सोने की एक सीकड़ी और चार कान का झुमका चांदी के आभूषण व चार हजार रूपया नगद चुरा ले गए।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 29.10.2020 को उ0नि0 विजय नारायण त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0

230/20 धारा 457/380 भादविसे सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गण 1-सहनवाज पुत्र कमरुद्दीन सा0 मोहल्ला उत्तर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 2-जमशेद पुत्र जमालुद्दीन सा0 मोहल्ला ताना बाना बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 3-सलमान पुत्र वसीर अहमद मोहल्ला इस्लामपुरा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 4-परवेज पुत्र मुन्नौवर सा0 मोहल्ला बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को समय करीब 18.00 बजे दिन में ग्राम रामपुर के सठियांव मोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये चार अदद अंगुठी, एक अदद चैन, एक अदद हार, एक जोड़ी टप्स पीली धातु के रोलगोल्ड बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढोतरी की गयी। अभियुक्तगण का चालान मु0अ0सं0 230/20 धारा 457/380/411 भादवि मे माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

#### **पंजीकृत अभियोग:-**

1- मु0अ0सं0 230/20 धारा 457/380/411 भादवि, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

- 1-सहनवाज पुत्र कमरुद्दीन सा0 मोहल्ला उत्तर बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2-जमशेद पुत्र जमालुद्दीन सा0 मोहल्ला ताना बाना बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3-सलमान पुत्र वसीर अहमद मोहल्ला इस्लामपुरा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़
- 4-परवेज पुत्र मुन्नौवर सा0 मोहल्ला बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1-उ0नि0 विजय नरायन त्रिपाठी मय हमराह थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

#### **थाना- गम्भीरपुर**

#### **दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

आवदेक रामआसरे प्रजापति पुत्र भुल्लन प्रजापति निवासी गोसाईपुर मोहांव थाना चोलापुर जनपद वाराणसी के लिखित तहरीरी सूचना पर दिनांक 04.09.20 को वादी की बेटी सीमा देवी को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 145/20 धारा 498ए, 304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1. इन्द्रजीत प्रजापति पुत्र धन्जु प्रजापति, 2. धन्जु प्रजापति पुत्र स्व0 मुन्नीलाल प्रजापति, 3. बुधिया प्रजापति पत्नी धन्जु प्रजापति निवासीगण हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, 4.जितेन्द्र प्रजापति पुत्र मित्तू प्रजापति ग्राम बालेमऊ थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्तगण 1.इन्द्रजीत प्रजापति पुत्र धन्जु प्रजापति, 2.धन्जु प्रजापति पुत्र स्व0 मुन्नीलाल प्रजापति 3.बुधिया प्रजापति पत्नी धन्जु प्रजापति निवासीगण हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में आज दिनांक 30.10.2020 को उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मयहमराह का0 भानुप्रताप यादव के मु0अ0सं0 145/20 धारा 498ए, 304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र प्रजापति पुत्र मित्तू प्रजापति ग्राम बालेमऊ थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को उसके ससुराल ग्राम हरईरामपुर से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

#### **आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 145/20 धारा 498ए, 304बी भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट

#### **गिरफ्तार अभियुक्त**

जितेन्द्र प्रजापति पुत्र मित्तू प्रजापति ग्राम बालेमऊ थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य
2. का0 भानुप्रताप यादव